APP-1
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत जिला कलक्टर, बालोतरा बमुकाम बालोतरा

बनाम

सोहनसिंह भीमसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त. अधि. 1955 नं. 03/2026 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.1.26	अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री श्री जेठुलाल ~~महलोत~~ कुमावत उपस्थित। अपीलान्ट की ओर से यह अपील धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत तहसीलदार पचपदरा प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 के तहत पारित विभाजन आदेश दिनांक 17.12.2004 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर हों। रेस्पोडेंटगण जरिये नोटिस तलब हों एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा से आलोच्य अपीलाधीन मूल अभिलेख तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी रेस्पोडेंटगण, अपीलाधीन अभिलेख आईंदा दिनांक 27.1.26 को पेश हो। जिला कलक्टर बालोतरा	नोटिस जारी 16/1/26
27-1-26	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री जेठुलाल कुमावत उपस्थित। रेस्पोडेंटगण स्वयं उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता व रेस्पोडेटगण द्वारा पेश राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि दोनो पक्षों के मध्य राजीनामा होने से लोक अदालत की भावना से प्रकरण को निस्तारण करते हुए तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 17.12.2004 को निरस्त कर वास्तविक मौका कब्जा के अनुसार पुनः सिरे से बंटवाड़ा करने निवेदन किया गया। उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु उभय पक्षकारान सहमत है। जिला कलक्टर, बालोतरा जिला कलक्टर बालोतरा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

अधिवक्ता अपीलांट व उभय पक्षकारान ने दौराने बहस कथन किया कि मौजा कालाथल पटवार हल्का नवातला, तहसील पाटोदी (पूर्व तहसील पचपदरा) के खसरा संख्या 28, 29, 35, 69, 70, 71, 72 कुल रकबा 219 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि समस्त पक्षकरान के संयुक्त खातेदारी व पैतृक है। उक्त खसरा का बंटवाड़ा प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 के कैम्प के दौरान तहसीलदार पचपदरा द्वारा 17.12.2004 को विभाजन आदेश पारित किया गया। उक्त विभाजन आदेश उपरांत वर्तमान मौका कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड में भिन्नता है तथा पक्षकरान की रहवासीय ढाणी वगैरा एक दुसरे के हिस्से में आ रहे है। इस हेतु समस्त पक्षकारान उक्त आलोच्य विभाजन को निरस्त कर मौका कास्त के अनुसार पुनः नये सिरे से बंटवाड़ा करवाने हेतु सहमत है।

हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। मौजा कालाथल पटवार हल्का नवातला, तहसील पाटोदी (पूर्व तहसील पचपदरा) के खसरा संख्या 28, 29, 35, 69, 70, 71, 72 कुल रकबा 219 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि समस्त पक्षकरान के संयुक्त खातेदारी व पैतृक है। उक्त खसरा का बंटवाड़ा प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 के कैम्प के दौरान तहसीलदार पचपदरा द्वारा 17.12.2004 को विभाजन आदेश पारित किया गया। चूंकि पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में समस्त पक्षकारान के सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार पुनः बंटवाड़े हेतु रजामंद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 17.12.2004 को अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार तहसीलदार पचपदरा (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए एव पक्षकारों को सुनकर पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
पत्रावली फैसल उपरांत नंबर से कम हो।

जिला कलक्टर